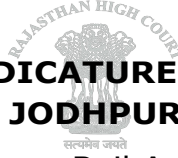




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1468/2026

Abhishek Singh S/o Shri Sanwat Singh Ranawat, Aged About 19 Years, R/o Madanpura, Police Station Bagore, District Bhilwara Presently Chaprasi Colony, Police Station Gandhi Nagar District Bhilwara. (At Present Lodged At District Jail Bhilwara)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Dharendra Singh, Sr. adv. With Ms. Priyanka Borana
For Respondent(s)	:	Mr. Nareendra Gehlot, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

23/03/2026

01. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस., पुलिस थाना करेडा जिला भीलवाड़ा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 10/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 310(4), 310(5) बी.एन.एस. व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।

02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थी-अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी-अभियुक्त को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। इस मामले में चालान पेश हो चुका है। प्रार्थी-अभियुक्त को डकैती की योजना बनाने के संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। प्रार्थी-अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं होना बताया। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है एवं प्रार्थी-अभियुक्त काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। अतः प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।



04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी-अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली एवं चालान कागजात का अवलोकन किया।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी-अभियुक्त **अभिषेक सिंह पुत्र सांवतसिंह राणावत** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

10-mayank/-